संख्या-77/2022/333ई/23-11-2022-23-11099(099)/5/2022

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 29 अप्रैल, 2022**

विषय:- जनपद सहारनपुर में नागल सहारनपुर मार्ग शेखपुरा कदीम मार्ग पर सम्पार संख्या-84 को बन्द करने हेतु उत्तर रेलवे के सम्पार संख्या-84एसपीएल से 200 मीटर टपरी की तरफ लाइन/नागल रजवाहे पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग की भूमि नि: शुल्क लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-51/डी0एफ0सी0सी0आई0एल0(वॉल्यूम-6)/सेतु-6/21-22, दिनांक 19-01-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डी0एफ0सी0सी0 रूट के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में नागल सहारनपुर मार्ग शेखपुरा कदीम मार्ग पर सम्पार सं0-84 को बन्द करने हेतु उत्तर रेलवे के सम्पार सं0-84एसपीएल से 200 मीटर टपरी की तरफ लाइन/नागल रजवाहे पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु ग्राम शेखपुरा कदीम (त्यागी कालोनी) में 582.40 मीटर लम्बाई में तथा वंश कालोनी की 1000.00 मीटर लम्बाई अर्थात कुल 1582.40 मीटर लम्बाई व 11.50 मीटर चैड़ाई में कुल 18197.60 वर्ग मीटर सिंचाई विभाग की भूमि लोक निर्माण विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) नहर के प्रस्तावित पुर्नसमरेखन उपरान्त रेलवे भाग एवं सड़क के नीचे के भाग पर अन्य संरचनाओं साइफन/माइनर इरीगेशन ब्रिज, पुल/पुलिया की पुनर्स्थापना/पुनः निर्माण का कार्य रेलवे विभाग/डी0एफ0सी0सी0 व लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने व्यय पर कराये जाने तथा 1.20 मी0 चौड़े आयताकार आर0सी0सी0 ओपेन चैनल के निर्माण हेतु धनराशि रू0 2.60 करोड़ (रूपये दो करोड़ साठ लाख मात्र) एकमुश्त प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा सिंचाई विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रचलित सुसंगत नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रस्तावित भूमि के हस्तान्तरण से सम्बन्धित समस्त राजस्व अभिलेखों की पुष्टि कराकर हस्तान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो तथा हस्तानान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं की जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, नई दिल्ली।
5- महाप्रबन्धक, सम्बन्धित रेलवे।
6- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
8- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।